संख्या-1853/नौ-5-2018-208बजट/2016

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत फतेहगंज (पश्चिम), बरेली।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 12 जून, 2018

विषय-वित्तीय वर्ष 2017-18 में 'नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना' के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-172/न0पं0फतेह0(प0)/2018-19, दिनांक 25.05.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 में 'नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना' के अन्तर्गत नगर पंचायत फतेहगंज (पश्चिम), बरेली के अन्तर्गत गाटा संख्या-235 में स्थित घुघुरू बाबा का तालाब सौन्दर्यीकरण कार्य के लिए शासनादेश संख्या-24/2018-123/नौ-5-2018-208बजट/2016 दिनांक 23.01.2018 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 95.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। निकाय द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में दिनांक 23.01.2018 को अवमुक्त उक्त धनराशि रू0 95.00 लाख की उपयोगिता अवधि दिनांक 30.09.2018 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 95.00 लाख की उपयोगिता अवधि दिनांक 30.09.2018 तक इस शर्त के अधीन बढ़ायी जाती है कि इस अवधि में प्रत्येक दशा में स्वीकृत कार्य पूर्ण कराकर धनराशि का उपभोग सुनिश्चित करते हुए प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद, शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि उपयोगिता अवधि बढ़ाने की स्थिति पुन: उत्पन्न न हो।

भवदीय

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1853(1)/नौ-5-2018-208बजट/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2-मण्डलायुक्त, बरेली/इलाहाबाद।
3-जिलाधिकारी, बरेली।
4-कोषाधिकारी, बरेली।
5-निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6-अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत फतेहगंज (पश्चिम), बरेली।
7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1/2)
8-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

Tiwari ji-Go-2018-VC